

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय उद्योग आयुक्त
उद्योग सदन, 419 औद्योगिक क्षेत्र पटपड़गंज, दिल्ली 10092

फा.सं० सी.आई./डी.सी.आई./क्यू.सी./वी.एस./2018-19/308

दिनांक : 21-02-2019

सेवा में,

✓ उपसचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

विषय: दिल्ली विधानसभा तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या 195 दिनांक 28.02.2019 को
सदन की बैठक हेतु।

महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां, माननीय
मंत्री, उद्योग विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीया,

लक्ष्मी कृष्णन

(लक्ष्मी कृष्णन)

उपायुक्त उद्योग (प्र०शा०)

प्रतिलिपि :

1. सचिव , माननीय उद्योग मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की
दो प्रतियां सहित ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय , दिल्ली को प्रश्न के उत्तर
की 150 प्रतियां सहित ।

उपायुक्त उद्योग (प्र०शा०)

विभाग का नाम :- कार्यालय आयुक्त उद्योग

विभाग का पता:-कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र
पटपड़गंज, दिल्ली-110092

अतारांकित प्रश्न संख्या : 195

दिनांक : 28.02.2019

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री विशेष रवि

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न सं.	प्रश्न	उत्तर
क	किसी वाणिज्यिक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में बदलने के लिए अपनाए जाने वाले मानक एवं प्रक्रिया क्या है, और	(क व ख) मास्टर प्लॉन -2021 के पैरा न0 7.6.2.1 के प्रावधानों के अनुसार गैर अनुरूप क्लस्टर जिनमें वास्तविक सर्वे के आधार पर 70 प्रतिशत से ज्यादा प्लॉट औद्योगिक गतिविधि /उपयोग में हों एवं
ख	किसी वाणिज्यिक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कराने के लिए किन-किन मानकों एवं प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता है ?	कम से कम 4 हेक्टेयर एरिया एक साथ हो, को पुनः विकसित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा सकता है ।

मधुसू कुलकर्णी

उपायुक्त उद्योग (प्रश्न शाखा)
उद्योग विभाग